पत्र संख्या–आई0एम0सी0 / मु0 / स0प0 / 2018–19 / 251 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
(आई0एम0सी0)
लखनऊ::दिनांक::25 मार्च::2019

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

विषय–प्रतिमाह वि0अनु0शा0 जाँच के 02 महत्वपूर्ण मामलों की रिपोर्ट वाणिज्य कर, मुख्यालय प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्यालय के पत्र संख्या–स0द0 / करापवंचन सम्बन्धी निर्देश / 17–18 / 2734 / वाणिज्य कर लखनऊ / दिनांक 23.01.2018 द्वारा एक पृष्ठीय परफार्मेन्स रिपोर्ट प्रेषित किये जाने की अपेक्षा प्रति माह की जाती रही है। इसके सम्बन्ध में फील्ड स्तर से प्राप्त रिपोर्ट का मुख्यालय स्तर पर परीक्षण किये जाने पर वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा 02 महत्वपूर्ण प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक माह एक पृष्ठीय परफार्मेन्स रिपोर्ट के स्थान पर अपने–अपने जोन की 03 माह पूर्व से सम्बन्धित माह की (उदाहरणार्थ माह–अप्रैल 19 में माह–दिसम्बर 2018 से सम्बन्धित तथा माह–मई 19 में माह–जनवरी 2019 से सम्बन्धित जाँचों का विवरण) **02 बड़ी वि0अनु0शा0 जाँचों की विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुये** आई0एम0सी0, वाणिज्य कर, मुख्यालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें:–

(1) रिपोर्ट में यह अंकित किया जाये कि केस प्रोफाइलिंग करते समय किस प्रकार की सूचनाओं (यथा– ई–वे बिल में विसंगति, रिटर्न में घोषित आंकड़ों में discrepancies, गलत कैश सेट–ऑफ, Wrong ITC Claim आदि) का संकलन किया गया है।

(2) रिपोर्ट में उल्लिखित प्रकरण में निरीक्षण / जाँच / तलाशी का निर्णय किस आधार (यथा–रेड फ्लैग डीलर्स की सूची में 03 से अधिक रिस्क पैरामीटर्स वाले, सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से आई0टी0सी0 का आदान–प्रदान आदि) पर लिया गया है।

(3) जाँच की कार्यवाही के पूर्व तैयार की गयी योजना के संक्षिप्त विवरण में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया जाये:–

(i) जांच की कार्यवाही करने से पूर्व योजना का विवरण।

(ii) डाटा संकलन का विवरण।

(iii) जाँच के पूर्व प्रतिष्ठान से सम्बन्धित समस्त व्यापार स्थलों / गोदामों के चिन्हीकरण का विवरण।

(iv) सम्पूर्ण कार्यवाही को निष्पादित करने के लिए चिन्हित अधिकारियों (गठित टीम) का विवरण।

(v) जाँच / तलाशी के पूर्व एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0) / ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) द्वारा जाँच टीम के सदस्यों को दी गयी ब्रीफिंग (करापवंचन का मोड / साक्ष्य संकलित / सुसंगत अभिलेख अभिग्रहीत किये जाने आदि के सम्बन्ध में) का विवरण।

(4) (i) जाँच / तलाशी के समय व्यापार स्थल पर उपस्थित व्यक्तियो से पूछ–ताछ की सम्भावित प्रश्नावली।

क्रमशः पृष्ठ 02 पर....

(ii) जाँच के समय व्यापार स्थल पर पाये गये तथ्यों/अभिलेखों के सम्बन्ध में नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही किये जाने का विवरण।

(iii) जाँच के समय व्यापार स्थल पर पाये गये एक्सेस गुड्स का स्टाक रजिस्टर से सत्यापन व मूल्यांकन किये जाने का विवरण।

(iv) जाँच के पश्चात यदि पूर्ववर्ती/अनुवर्ती सप्लायर्स के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाये गये हों, तो उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही/सम्बन्धित प्रापर आफीसर को सूचना भेजे जाने का विवरण।

(v) सम्मन/नोटिस जारी किये जाने व उसको नियमानुसार तामील किये जाने का विवरण।

(vi) जाँच के पश्चात् जारी सम्मन/नोटिस मे सर्वेक्षण के समय पाये गये सभी प्रतिकूल तथ्यों का समावेश किये जाने का विवरण।

(vii) इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट, न्याय निर्णयन अधिकारी को प्रेषित किये जाने एवं उसमें सभी प्रतिकूल तथ्यों के समावेश सहित सभी सुसंगत साक्ष्य प्रेषित किये जाने का विवरण।

5. उक्त के अतिरिक्त यह भी अपेक्षित है कि करापवंचन में लिप्त पंजीयन योग्य सीमा से अधिक का व्यापार करने वाली अपंजीकृत फर्मो का चिह्नीकरण करके उनके विरूद्ध समय-समय पर प्रभावी कार्यवाही की जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेषर